न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी : पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

मुकदमा सं0: 38/2020 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण

1.रामकिशन पुत्र भौंरीलाल जाति मीना निवासी ग्राम ठीकरिया तहसील दौसा हाल नांगल राजावतान जिला दौसा राजस्थान।

...प्रार्थी

बनाम

1. बद्री पुत्र मांगीराम जाति मीना निवासी ग्राम रानीवास तहसील दौसा हाल नांगल राजावतान जिला दौसा।
2. सोमोती पत्नी सीताराम
3. हनुमान पुत्र सीताराम नाबालिग जरिये संरक्षिका माता सोमोती
4. सूरजबाई पुत्री सीताराम
5. ममता पुत्री सीताराम
   समस्त जाति मीना निवासी लाहड़ी का बास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।
6. ओम शंकर पुत्र चिरंजीलाल जाति महाजन निवासी लाहड़ी का बास हाल निवासी सुन्दरदास मार्ग दौसा जिला दौसा।
7. प्रेम प्रकाश पुत्र रामहेत तिवाड़ी जाति ब्राह्मण निवासी चौधरी कॉलोनी, आगरा रोड दौसा।
8. श्री रवि विजय पीठासीन अधिकारी उपजिला कलेक्टर महवा जिला दौसा
9. श्री नवल किशोर शर्मा पीठासीन अधिकारी नायब तहसीलदार दौसा।
10. श्री गिर्राज मीणा पुत्र श्री छाजू मीणा निवासी ग्राम ढगलाव तहसील दौसा जिला दौसा।
11. धर्मराज मीणा पुत्र श्री हरसहाय मीणा जाति मीणा निवासी कोटा पट्टी पोस्ट टिगारिया तहसील लवाण जिला दौसा।

...अप्रार्थीगण

स्थानांतरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत उप जिला कलक्टर महवा के समक्ष विचाराधीन वाद उनवानी रामकिशन बनाम बद्री मु0नं0 255/2016

उपस्थिति :
1. श्री सतीश कुमार पारीक, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं010
3. श्री विजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं011
4. श्री नवल किशोर शर्मा, पैरोकार सरकार

-:: निर्णय ::- दिनांकः 06.01.2021

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर महवा जिला दौसा में विचाराधीन वाद उनवानी रामकिशन बनाम

मुकदमा सं0: 38/2020 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण

बद्री मुकदमा नं0 255/2016 को न्यायालय उप जिला कलक्टर महवा से किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु प्रार्थना पत्र स्थानांतरण पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी सं0 01 की तामील कुनिन्दा रिपोर्ट के अनुसार जेल मे गया हुआ अंकित किया है। अप्रार्थी सं0 02लगा0 07 बाद तामील उपस्थित नही हुए। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा के समक्ष एक वाद उनवानी रामकिशन बनाम बद्री वगै0 मु0नं0 255/2016 विचाराधीन है। उक्त वाद मे दिनांक 12.03.2020 को वादी की साक्ष्य पूर्ण होकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी मे नियत की गई तथा पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में चल रहीं थी। जिसमे दिनांक 19.03.2020 नियत थी। कोरोना महामारी कि वजह से लॉकडाउन लग जाने के कारण पत्रावली मे जनरल तारीख पेशीया नियत की जाती रहीं। दिनांक 27.07.2020 को उपखण्ड अधिकारी महवा के समक्ष विचाराधीन सभी प्रकरणों मे जनरल तारीख पेशी दिनांक 14.09.2020 नियत की गई। उक्त वाद मे भी दिनांक 14.09.2020 तारीख पेशी नियत की गई। परन्तु उक्त प्रकरण मे बिना कोई जल्दी सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश हुए तथा बिना प्रार्थी वादी को सुनवाई का अवसर दिये अथवा बिना वादी वादी तारीख पेशी जल्दी रखने बाबत कोई नोटिस दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 10.08.2020 की तारीख पेशी मे पत्रावली को रखकर तथा गिर्राज मीणा एवं धर्मराज मीना की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिवादी बद्री की ओर से उसी दिन एक प्रार्थना पत्र वास्ते मौका कमिश्नर का प्रस्तुत हुआ जबकि प्रतिवादी बद्री जेल मे है। जिस पर दिनांक 10.08.2020 को ही मौका कमिश्नर का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नायब तहसीलदार दौसा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया। जिसकी वादी को कोई जानकारी नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना मे पक्षकारों को सूचना भी नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी वादी को नोटिस दिये बिना ही उक्त सभी कार्यवाही कर दी गई एवं वादी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाना पीठासीन अधिकारी से भू माफिया गिर्राज प्रसाद मीना से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सांठगाठ होना एवं प्रार्थी वादी के विरूद्ध बिना सुने ही फैसला करने की आशंका होने से प्रार्थी न्याय प्राप्ति से वंचित हो जावेगा। अतः प्रार्थना पत्र मंजूर कर न्यायालय उप जिला कलक्टर महवा मे विचाराधीन वाद उनवानी रामकिशन बनाम बद्री मुकदमा नं0 255/2016 को अन्य सक्षम न्यायालय स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 10 द्वारा जवाब बहस मे निवेदन किया गया है कि प्रार्थी वादी रामकिशन ने अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 के एक वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उनवानी रामकिशन बनाम बद्री व अन्य का न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा मे दिनांक 23.01.2014 को पेश किया उक्त वाद के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सं0 5/2014 मे दिनांक 24.1.2014 से वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड व मौके के यथास्थिति के आदेश करवा रखे है। प्रार्थी का उद्देश्य उक्त वाद व स्टे को ज्यादा से ज्यादा लम्बे करते रहने का है। प्रार्थी रामकिशन ने तत्कालीन पीठासीन अधिकारी संतोष गोयल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा व अन्य के खिलाफ प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया था। जिस पर दिनांक 30.03.2016 को पत्रावली न्यायालय उप जिला कलक्टर महवा मे स्थानान्तरित की गई थी। प्रार्थी द्वारा प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने के उद्देश्य से उक्त स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी वादी द्वारा पूर्व मे भी बार बार स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पेश वाद को लंबित रखने की मंशा रखता है। प्रार्थी रामकिशन को अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर महवा के खिलाफ किसी प्रकार का विवाद नही है। इसलिए उक्त प्रकरण की सुनवाई उपखण्ड अधिकारी महवा के समक्ष ही करवाया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी महवा से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार वाद मे मौका निरीक्षण से पूर्व उभयपक्ष का सूचित करने हेतु नायब तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया गया एवं न्यायिक प्रक्रिया के तहत उभयपक्ष की उपस्थिति में सुनवाई की जा रहीं है तथा प्रकरण को स्थानान्तरण करने मे कोई आपत्ति नही होना व्यक्त किया है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण को स्थानान्तरित करने के संबंध मे कोई औचित्य पूर्ण तथ्य प्रस्तुत नही किये गये है। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 10 द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं प्रकरण के निस्तारण मे अनावश्यक रूप से विलंब होने की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाना हम उचित नही समझते है। अप्रार्थी सं 01 जेल मे है एवं अप्रार्थी 2 लगायत 7 उपस्थित नहीं हुए।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मुकदमा सं0: 38/2020 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय उप जिला कलक्टर महवा मे विचाराधीन प्रकरण उनवानी रामकिशन बनाम बद्री मुकदमा नं0 255/2016 को अन्य सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा को निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 06.01.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official